महत्वपूर्ण/समयबद्ध/तत्काल निर्गत/फैंक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः डीजी–चार–110(400)2007

दिनांकःलखनऊःमई 17, 2014

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि शासन की अधिसूचना संख्याः 1535/6–पु–2–09–1100 (63)2009 दिनांक 28–08–2009 द्वारा उ0प्र0 पुलिस समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली–2009 का प्रख्यापन होने के फलस्वरूप पुलिस विभाग के समूह 'घ' के कर्मचारी पुलिस एक्ट 1861 की धारा–2 सपठित धारा–46 की उपधारा–(2) और (3) के अन्तर्गत समाहित कर लिये गये हैं। इस प्रकार पुलिस बल में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मी भी पुलिस बल के अन्य कर्मियों की भॉति पुलिस बल के सदस्य हो गये हैं।

2– उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 14 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 10 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा वर्तमान में अनुमन्य की जा रही है। चूँकि उ0प्र0 पुलिस समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली–2009 का प्रख्यापन होने के फलस्वरूप पुलिस विभाग के समूह 'घ' के कर्मचारी पुलिस एक्ट 1861 की धारा–2 सपठित धारा–46 की उपधारा–(2) और (3) के अन्तर्गत समाहित कर लिये गये हैं। ऐसी स्थिति में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पूर्व में प्रदान की जाने वाले आकस्मिक अवकाश की सुविधा को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करते हुए शासनादेश संख्याः 832(1)आठ–2–1100(35)/75 दिनांक 03–06–1975 के अनुसार पुलिस एक्ट की धारा–2 के अन्तर्गत पुलिस बल के अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को एक कलेण्डर वर्ष में 30 दिवस आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने की भॉति चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी एक कलेण्डर वर्ष में 30 दिवस आकस्मिक अवकाश की सुविधा अनुमन्य की जाती है।

3– अतः शासनादेश संख्याः 832(1)आठ–2–1100(35)/75 दिनांक 03–06–1975 में दिये गये निर्देशानुसार पुलिस एक्ट की धारा–2 के अन्तर्गत आने वाले पुलिस बल के अन्य अराजपत्रित कर्मियों की भॉति पुलिस बल में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी एक कलेण्डर वर्ष में 30 दिवस आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें तथा उक्त निर्देश का शासनादेश के अनुरूप कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

17/05/14
(आनन्द लाल बनर्जी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

1– प्रतिलिपि प्रमुख सचिव गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उपरोक्त सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि पुलिस उपमहानिरीक्षक 'स्थापना' उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।